न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– राजीव बडगूजर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
144/2022	16.11.2022	12.06.2024

अनवान

1. मु. बसन्ती पत्नी संजय कुमार जाति शर्मा आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

– प्रार्थीया

बनाम

1. संजयकुमार पुत्र देवकिशन, जाति शर्मा आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. मु. गंगा पत्नी गोटूलाल, जाति सुथार आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. प्रकाशचन्द्र पुत्र भंवरलाल जाति चोटिया आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. कैलाशचन्द्र पुत्र चम्पालाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. श्यामलाल पुत्र चम्पालाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. नगरपालिका कपासन द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका कपासन, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।

– अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितिः–	अधिवक्ता श्री बी0एस0गौड़	प्रार्थीया
	अधिवक्ता श्री पवन शर्मा	अप्रार्थी स0 3

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कपासन पटवार हल्का कपासनए तहसील कपासन की बस्ती के बाह्य क्षेत्र में आराजी खसरा संख्या 5114 क्षेत्रफल 0.11 हैक्टर स्थित है। यह कि उपरांकित आराजी से सटी हुई आराजी खसरा संख्या 7468/5105, 5115, 5103, 5104 [illegible]45/5047 है। यह कि आराजी खसरा संख्या 7468/5105 अप्रार्थी संख्या 1, आ[illegible] संख्या 5115 अप्रार्थी संख्या 2, आराजी खसरा संख्या 5103 अप्रा[illegible] संख्या 5104 अप्रार्थी संख्या 4–5 तथा आराजी खसरा संख्या 6945/5047 अप्रार्थी संख्या 6 नगर पालिका [illegible]न के खातेदारी एवं स्वामित्व की है। आराजी संख्या 5114 [illegible]बा 0.11 हैक्ट0 कृषि भूमि [illegible]या के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थीया की खातेदारी की आराजियात की मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.04 11:49:14 IST
Reason: SelfAttested

अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीया वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4, 5 स्वयं ने हाजिर होकर पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की, व आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। अप्रार्थी संख्या 6 बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से आज दिनांक 12.06.2024 को एक तरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री पवन शर्मा द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र निम्न निवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया–

1. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 1 में आराजी संख्या 5114 रकबा 0.11 हेक्टयर स्थित होना स्वीकार नहीं । प्रार्थीया का उक्त आराजीयात पर तन्हा कब्जा काश्त होना गलत अंकित किया है। उक्त आराजीयात अप्रार्थी संख्या 3 एवं दीगर अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात पर आने जाने का रास्ता है अप्रार्थी संख्या 3 स्वयं के खातेदारी की आराजी संख्या 5103 पर उक्त आराजी संख्या 5114 से होकर आते जाते गाडी बैल, फसल लाते ले जाते है । अप्रार्थी संख्या 3 आराजी संख्या 5114 का रास्ते के रूप में उपयोग – उपभोग निरन्तर निर्विरोध शान्ती पूर्वक अपने पूर्वजों के समय से करते चले आ रहे है। वादगत आराजी 5114 काश्त योग्य भूमि नहीं है मौके पर रास्ता आज भी विद्यमान है ।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 2 पर विवाद नहीं ।
3. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 3 पर विवाद नहीं ।
4. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 4 में अप्रार्थी संख्या 3 का पड़ौसी होना स्वीकार है। प्रार्थीया ने उक्त आराजी संख्या 5114 श्री गोटूलाल सुथार से क्रय की क्योंकि अप्रार्थी संख्या 3 की आराजीयात के सटी हुई प्रार्थीया के पति अप्रार्थी संख्या 1 की आराजीयात भी स्थित है, मौके पर रास्ता विद्यमान है, काश्त योग्य भूमि नहीं है, पत्थरगढी की आढ में प्रार्थीया आराजी संख्या 5114 में विद्यमान रास्ते को बन्द करना चाहते है जो करीब 100 वर्षों से विद्यमान है और रास्ते के रूप में निरन्तर निर्विरोध शान्ती पूर्वक उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है।
5. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 5 गलत होने से स्वीकार नहीं। प्रार्थीया का आराजी संख्या 5114 पर कब्जा नहीं है। वाद विवाद लड़ाई–झगड़ा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं।
6. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 6 गलत होने से स्वीकार नहीं । मौके पर रास्ता विद्यमान है जिसकी पत्थरगढ़ी सम्भव नहीं, विवाद होने का कोई अंदेशा नहीं है क्योंकि अप्रार्थी वर्तमान में आज भी उक्त आराजीयात का उपयोग उपभोग शान्ती पूर्वक करते चले आ रहे है।
7. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 7 पर विवाद नहीं ।
8. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 8 गलत होने से स्वीकार नहीं। प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 3 से कभी कोई बातचीत नहीं की।
9. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 9 अदालत के विचारणीय है ।
10. यह कि प्रार्थीया ने गलत शपथपत्र पेश किया है जवाब की पुष्टी में शपथपत्र पेश है ।
11. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 9 अदालत के विचारणीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.04 11:49:14 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थीया की प्रार्थना गलत होने से स्वीकार नहीं, प्रार्थीया वादगत आराजी संख्या 5114 की पत्थरगढी कराने की अधिकारणी नहीं है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पूर्व में दिनांक 10.01.2024 को उभयपक्ष अधिवक्ताओं की सहमति से मौका स्थिति हेतु मौका रिपोर्ट मंगवायी गयी। जो शा0फा0 है।

हाजिर वकील प्रार्थीया द्वारा लिखित बहस निम्न निवेदन के साथ प्रस्तुत की गयी–

1. यह कि वर्णित आराजी खसरा संख्या 5114 क्षेत्रफल 0.11 हैक्टर प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 2 मु0 गंगा के पति श्री गोटुलाल दत्तक पुत्र लोबा सुथार निवासी कपासन से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से दिनांक 18.02.2020 को बिल एवंज 2,60,000/– अक्षरे दो लाख साठ हजार रूपये मे क्रय करके कब्जा प्राप्त किया तब से वर्णित आराजीयात प्रार्थीया के तन्हा स्वामित्व एवं आधिपत्य मे निरन्तर शान्ति पूर्वक चली आ रही है।
2. यह कि वर्णित आराजी के पडोसी अप्रार्थी संख्या एक संजय कुमार, अप्रार्थी संख्या 2 मु0 गंगा, अप्रार्थी संख्या 4 कैलाशचन्द्र तथा अप्रार्थी संख्या 5 श्यामलाल ने माननीय न्यायालय मे उपस्थित होकर पत्थरगढी बाबत अपनी सहमति प्रकट की है। अप्रार्थी संख्या 6 नगर पालिका के विरूद्व कार्यवाही एक पक्षीय है ।
3. यह कि अप्रार्थी प्रकाशचन्द्र ने दिनांक 01.02.2023 को प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पर अप्रार्थी संख्या 3 प्रकाशचन्द्र सहित अन्य अप्रार्थीगण का अपनी आराजीयात पर आने जाने का रास्ता होने का कथन किया है, जबकि अन्य अप्रार्थीगण को ऐसा कोई कथन पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। वर्णित आराजी प्रार्थीया के तन्हा खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, जिसकी किस्म पडत–1 है। अप्रार्थी संख्या 3 प्रकाशचन्द्र ने मिथ्या मनगढन्त एवं निराधार कथन किया है।
4. यह कि आराजी खसरा संख्या 5114 के पूर्व खातेदार श्री गोटुलाल सुथार ने अप्रार्थी प्रकाशचन्द्र सहित अन्य के विरूद्व पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके प्रकरण क्रमाक 171/2009 प्रा0पत्र होकर दिनांक 02.06.2009 को इसी माननीय न्यायालय द्वारा पत्थरगढी किये जाने का आदेश पारित किया जिसकी पालना मे तहसीलदार कपासन द्वारा दिनांक 19.06.2010 को पक्षकारगण की उपस्थिति मे पत्थरगढी की गई।
5. यह कि आराजी खसरा संख्या 5114 के पूर्व खातेदार श्री गोटुलाल सुथार ने अप्रार्थी प्रकाशचन्द्र सहित अन्य के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया, जिसके प्रकरण क्रमांक 225/2008 रा०वाद होकर माननीय न्यायालय द्वारा विपक्षी प्रकाशचन्द्र सहित अन्य के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी है ।
6. यह कि विपक्षी प्रकाशचन्द्र ने नगर पालिका कपासन की खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 6945/5047 क्षेत्रफल 0.35 हैक्टर जो लाखो रूपये की है जिस पर अतिक्रमण कर नाजायज कब्जा कर रखा है।
7. पत्थरगढी किये जाने से विपक्षी को किसी प्रकार से कोई नुकसान नही है।

हाजिर वकील प्रार्थीया द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीया अपनी आराजीयात की पत्थरगढी करवाना चाहती है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.04 11:49:14 IST
Reason: SelfAttested

वकील अप्रार्थी द्वारा मौखिक बहस कर यह निवेदन किया गया कि उक्त आराजीयात मौके पर रास्ते के रूप में उपयोग में ली जा रही है, अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया। हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीया आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है।

उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थीया प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को पत्थरगढी कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा कपासन पटवार हल्का कपासनए तहसील कपासन की आराजी खसरा संख्या 5114 क्षेत्रफल 0.11 हैक्टर कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर पत्थरगढी किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीया से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 12.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजीव बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.04 11:49:14 IST
Reason: SelfAttested